राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
(नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद)
(भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
धन्वन्तरि भवन, मार्ग संख्या–66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली–110 026
दूरभाष संख्या 011–25228548 एवं 25229753 ई.मेलः gsp-ravdl@gov.in

गुरु शिष्य परंपरा के अन्तर्गत गुरुजनों की नियुक्ति 2025–26

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली संस्थागत रूप से शिक्षित आयुर्वेद चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने हेतु पात्र **वैद्यों/संस्थाओं** से **'गुरु–शिष्य परम्परा पद्धति'** के माध्यम से एक वर्षीय राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र (सी.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण देने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। इच्छुक **वैद्य/संस्था** पात्रता, आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप इत्यादि के विवरण हेतु इस विद्यापीठ की वेबसाइट www.ravdelhi.nic.in देखें और विधिवत् भरे हुए आवेदन–पत्र को **09 दिसम्बर, 2024 तक या इससे पूर्व उपर्युक्त ई–मेल और पते पर (ई–मेल और डाक दोनों के माध्यम से)** भेजें।

निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ

RASHTRIYA AYURVEDA VIDYAPEETH
(NATIONAL ACADEMY OF AYURVEDA)
(An autonomous organization under Ministry of Ayush, Govt. of India)
Dhanwantari Bhawan, Road No.-66, Punjabi Bagh (West), New Delhi-110 026
Phone Nos.011- 25228548 & 25229753 Email: gsp-ravdl@gov.in

APPOINTMENT OF GURUS UNDER GURU SHISHYA PARAMPARA 2025-26

Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, New Delhi invites applications from eligible **Vaidyas/Institutions** to train institutionally qualified Ayurveda doctors in one year Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (CRAV) course through **'Guru-Shishya Parampara method'**. Interested **Vaidyas/Institutions** may visit this Vidyapeeth's website www.ravdelhi.nic.in for details of eligibility, prescribed format of application form, etc. and send their duly filled application form to the **above mentioned E-mail and address (both through e-mail and Post) on or before 09th December, 2024**.

Director, Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
(नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद)
(भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
धन्वन्तरि भवन, मार्ग संख्या–66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली–110 026
दूरभाष संख्या: 25228548 एवं 25229753 ईमेल: gsp-ravdl@gov.in

गुरु शिष्य परम्परा के अन्तर्गत गुरुजनों की नियुक्ति–2025–26

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है। यह संस्थागत रूप से अर्हता प्राप्त आयुर्वेद चिकित्सकों के प्रशिक्षण हेतु **'गुरु शिष्य परम्परा'** के अन्तर्गत पाठ्यक्रमों का संचालन करता है।

पाठ्यक्रमः –

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ प्रमाण पत्र (सी.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम : यह आयुर्वेदा स्नातकों के लिए एक वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह प्रशिक्षण चिकित्सा कर्माभ्यास (क्लिनिकल प्रैक्टिस)/आयुर्वेदा औषधालय (आयु. फार्मेसी) में दक्षता रखने वाले प्रख्यात कर्माभ्यासियों/आयुर्वेदा संस्थाओं द्वारा दिया जाता है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, प्रख्यात आयुर्वेद कर्माभ्यासियों/प्रतिष्ठित आयुर्वेद चिकित्सालयों/आयुर्वेद फार्मेसियों से रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.) के प्रशिक्षण के लिए भावी गुरुजनों/प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में उन्हें नामावली (सूचीबद्ध) किए जाने हेतु आवेदनपत्र आमंत्रित कर रहा है। यह नामावली पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। चुने गए विद्वानों/संस्थाओं को उनके द्वारा रा.आ.वि.का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के शिष्यों को दिए गए प्रशिक्षण की वास्तविक अवधि के आधार पर मानदेय दिया जायेगा।

गुरुजनों के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए पात्रता का मानदण्ड (राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम)

चयन के लिए निम्नलिखित पृथक–पृथक मानदण्ड वाले गुरुजनों की दो श्रेणियाँ रखी गई हैं :–

1. व्यक्तिगत गुरुजनों के लिए मानदण्ड।
2. संस्थाओं के लिए मानदण्ड।

1. व्यक्तिगत गुरुजनों के लिए मानदण्डः

i. भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् (आई.एम.सी.सी.) अधिनियम, 1970 की धारा 17/एनसीआईएसएम अधिनियम, 2020 के तहत आयुर्वेद के चिकित्सक जो किसी भी राज्य के पंजी में नामांकित हों।
ii. आयु 50 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
iii. आयुर्वेद के किसी भी चिकित्सा विषय में आयुर्वेद सामान्य अथवा विशिष्ट चिकित्सालय कर्माभ्यास का न्यूनतम 20 वर्षों का अनुभव।
iv. किसी भी स्थान अथवा किसी भी पद पर नियमित आधार पर नियोजित नहीं होना चाहिए। यह शर्त रोजगार को छोड़कर अन्य मानार्थ पदों के लिए बाधक नहीं होगी।
v. रा.आ.वि. गुरु बनने के इच्छुक आयुर्वेद चिकित्सकों की प्रतिदिन कम से कम 40 रोगियों

वाला एक बहिरंग विभाग (ओ.पी.डी.) होना चाहिए।

vi. प्रतिदिन 25 रोगियों की बहिरंग विभाग (ओ.पी.डी.) के अलावा सर्जिकल अभ्यास के मामले में, वैद्य को प्रतिदिन कम से कम 15 सर्जिकल/ पैरा–सर्जिकल/ क्षारसूत्र/ अग्नि कर्म प्रक्रियाएं होनी चाहिए।

vii. आयुर्वेद फार्मेसी के मामले में वैद्य के पास स्वयं की फार्मेसी होनी चाहिए जो कम से कम 20 वर्ष से कार्य कर रही हो।

viii. युवा आयुर्वेद डॉक्टरों (शिष्यों) को स्वयं सीखे हुए ज्ञान का प्रशिक्षण देने के तरीके से प्रशिक्षित करने तथा बिना किसी आपत्ति के अपने चिकित्सा ज्ञान एवं कौशलों को सिखाने का इच्छुक होना चाहिए।

ix. आईपीडी के साथ या बिना गुरु को 02 शिष्यों तक और 20 शय्याओं की अंतरंग विभाग (आई.पी.डी.) के साथ या ऊपर 04 शिष्यों तक दिया जा सकता है।

2. <u>संस्थाओं के लिए मानदण्डः</u>

i. आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया उत्कृष्ट केन्द्र।

ii. न्यूनत्तम 50 शय्याओं वाला अंतरंग विभाग (आई.पी.डी.) और प्रतिदिन 200 रोगियों वाला बहिरंग विभाग (ओ.पी.डी.) का आयुर्वेद चिकित्सालय।

iii. केन्द्र कम से कम 10 वर्ष से कार्य कर रहा हो।

iv. केन्द्र की अच्छी ख्याति होनी चाहिए और उसे विभिन्न विशिष्ट दशाओं के आयुर्वेदा उपचार के लिए प्रसिद्ध होना चाहिए।

v. फार्मेसी के मामले में उसके पास जी.एम.पी. प्रमाणपत्र, औषध नियंत्रण निगरानी सुविधा तथा अनुसन्धान एवं विकास विभाग होना चाहिए।

vi. संस्थान के प्राधिकारियों को, रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के शिष्यों के लिए उनके चिकित्सालय/फार्मेसी प्रशिक्षण से संबंधित सभी स्थानों पर हर सम्भव पहुॅंच देने के लिए तैयार रहना चाहिए।

संस्था से अपेक्षा की जाती है कि 'रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.)' प्रशिक्षण के सन्दर्भ में प्रशिक्षण प्रभारी के रूप संस्था के एक वरिष्ठ संकाय की पहचान करें और इसे आवेदन पत्र में इंगित करें।

'रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.)' प्रशिक्षण के लिए गुरुजनों के रूप में सूचीबद्ध और प्रशिक्षण प्रदान करने वाले गुरुजनों/संस्थाओं को राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के शासी निकाय द्वारा तय और समय–समय पर संशोधित मासिक मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

प्रख्यात आयुर्वेद चिकित्सालय विषेषज्ञों (वैद्यों) और आयुर्वेद स्वास्थ्य रक्षा संस्थाओं/आयुर्वेद औषधालयों (फार्मेसी) से नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार हिन्दी या अंग्रेजी में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को **<u>09 दिसम्बर, 2024 तक या उससे पहले उपर्युक्त ई–मेल और पते पर (ई–मेल (पीडीएफ में विलय करके) और डाक दोनों के माध्यम से)</u>** भेजें। पात्रता की निर्णायक तिथि **09.12.2024** होगा।

निदेशक, रा.आ.वि.

'रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र (सी.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम' के लिए व्यक्तिगत गुरुजनों के रूप में सूचीबद्ध किए जाने हेतु आवेदन 2025–26

1	नाम	
2	पिता का नाम	
3	जन्म तिथि	
4	आयु (09.12.2024 को)	
5	अर्हता (प्रदाता संस्थान का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष)	
6	चिकित्सा पंजीकरण (बोर्ड का नाम, संख्या एवं पंजीयन वर्ष)	
7	केंद्र अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत प्रदत्त कोई सेवा	
8	वर्तमान डाक पता (पिनकोड सहित)	
9	स्थाई पता (पिनकोड सहित)	
10	आधार और पैन नं.	
11	मोबाइल नंः और ई–मेल	
12	चिकित्सालय का नामः कार्य दिवसः चिकित्सालय का समयः सुबह की शिफ्टः शाम की शिफ्टः साप्ताहिक अवकाशः	

13	कर्माभ्यास के स्थान का पता (पिनकोड सहित)	
14	आयुर्वेद चिकित्सालयी कर्माभ्यास में अनुभव	
15	कोई शिक्षण अनुभव (यदि हॉ, तो विवरण)	
16	कर्माभ्यास में विशेषज्ञता का क्षेत्र (विवरण अलग कागज पर प्रस्तुत करें)	
17	ओपीडी में प्रतिदिन देखे जाने वाले रोगियों की औसत संख्या	
18	क्या आई.पी.डी. रखते हैं, यदि हां, तो शय्याओं की संख्या	
19	शय्या लेने का औसत अनुपात (वार्षिक)	
20	चिकित्सालय की अन्य इकाईयां (i) औषधि निर्माण खण्ड (ii) पंचकर्म (iii) क्षारसूत्र (iv) कोई अन्य	
21	क्लिनिक / चिकित्सालय की अवसंरचना संबंधी ब्यौरा (कुल क्षेत्रफल, कमरों की संख्या, वार्डों एवं शय्याओं की संख्या, उपलब्ध सुविधाएं)	
22	दशाएं / रोग जिनके लिए विशिष्ट उपचार उपलब्ध हैं	
23	प्रकाशन (रोगीवृत्त रिकार्ड / शोधपत्र / प्रकाशित पुस्तकें (लेखों / पुस्तकों की सूची संलग्न करें)	
24	संगोष्ठियों / सम्मेलनों / कार्यशालाओं की संख्या, जिनमें भाग लिया हों	

25	भाषाओं में दक्षता/प्रवाह (कृपया भाषा का नाम लिखें) (i) पढ़नाः (ii) लिखनाः (iii) बोलनाः	
26	क्या आप किसी महाविद्यालय/अस्पताल में मानद रूप से नियमित/अल्पावधि आधार पर कार्यरत हैं?	
27	आपके चिकित्सालयी अनुभव को मान्यता देने के लिए कोई मान्यता/पुरस्कार/मानद पद	
28	अन्य कोई विशेषता जो आपको/आपके संस्थान को सूचीबद्ध किये जाने हेतु समर्थन प्रदान करती हो (100–150 शब्दों में बताये)	

संलग्नकः आयुर्वेद योग्यताओं, चिकित्सा पंजीकरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, आदि के प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियॉ और हाल ही का जीवनवृत्तांत (बायोडेटा)।

घोषणाः

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त ब्यौरे, जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास हैं, सही हैं। मैं यह भी विश्वास दिलाता/दिलाती हॅू कि यदि मुझे अवसर दिया जाता है तो मैं अपने पूर्ण आयुर्वेद ज्ञान एवं चिकित्सालय कौशल से 'रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र (सी.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम' के प्रशिक्षण के लिए पूर्णतः वचनबद्ध रहॅूगा/रहॅूगी। मैं रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए समय–समय पर निर्गत नियमों/विनियमों का पालन करने का भी आश्वासन देता/देती हॅू।

दिनांकः **हस्ताक्षर**

'रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र (सी.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम' के लिए संस्थागत प्रशिक्षण केन्द्र (संस्थागत गुरु) के रूप में सूचीबद्ध किए जाने हेतु आवेदन 2025–26

1.	संस्था का नाम	
2.	संस्था का प्रबन्धन प्राधिकारी	
3.	संस्था का पूर्ण पता (पिनकोड सहित), ई–मेल, मोबाइल नं., फैक्स, वेबसाइट इत्यादि के साथ	
4.	संस्था का पैन नं.	
5.	पंजीकरण संख्या (अस्पताल / फार्मेसी के रूप में पंजीकरण)	
6.	क्या आयुष मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में घोषित किया गया है	
7.	कार्य प्रारंभ होने की तिथि	
8.	संस्था कितने वर्षों से कार्य कर रहा है	
9.	ओ.पी.डी. में प्रतिदिन रोगियों की औसत संख्या	
10.	आई.पी.डी. में शय्याओं की संख्या	
11.	संस्था की विशेषज्ञता (जिन दशाओं में विशिष्ट उपचार उपलब्ध है उनका उल्लेख करें)	
12.	अवसंरचना संबंधी ब्यौरे • कुल क्षेत्रफल • वार्डों की संख्या • परामर्शदाताओं की संख्या	

13.	चिकित्सालय की अन्य इकाईयां (i) औषधि निर्माण खण्ड (ii) पंचकर्म (iii) क्षारसूत्र (iv) कोई अन्य	
14.	शिष्यों के प्रशिक्षण से संबंधित अस्पताल का प्रत्यय पत्र	
15.	अस्पताल से प्रकाशित कोई अनुसन्धान–लेख/रोगीवृत्त रिपोर्ट/रोगी मामलों की श्रृंखला।	
16.	प्रभारी प्रशिक्षक का नाम एवं पदनाम (जो रा.आ.वि. के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के शिष्यों को प्रशिक्षित करेगा) (प्रभारी प्रशिक्षक का विवरण देने के लिए व्यक्तिगत गुरुजनों के लिए दिये गये प्रोफार्मा में जानकारी दें)	
17.	फार्मेसी के मामले में, निम्नलिखित ब्यौरे दें :– • सामान्यतः तैयार की गई औषधियॉ • जी.एम.पी. प्रमाणपत्र संख्या • औषध निर्माण लाईसेंस संख्या • कच्चे माल एवं तैयार उत्पादों की गुणवत्ता जांच हेतु सुविधा **(आवश्यक होने पर अलग पेपर संलग्न करें)**	

अनुलग्नक: अस्पताल/फार्मेसी पंजीकरण, जी.एम.पी. प्रमाणपत्र, आयुष मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता का प्रमाणपत्र, प्रशिक्षण प्रभारी की आयुर्वेदा अर्हताएं एवं पंजीकरण की छायाप्रतियॉ, संस्था का पैन कार्ड इत्यादि।

घोषणाः

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सूचनाएं, जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास हैं, सही हैं। मैं रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए समय–समय पर निर्गत नियमों/विनियमों का पालन करने का भी आश्वासन देता/देती हूँ।

दिनांक:

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
एवं कार्यालय की मुहर

RASHTRIYA AYURVEDA VIDYAPEETH
(NATIONAL ACADEMY OF AYURVEDA)
(An autonomous organization under Ministry of Ayush, Govt. of India)
Dhanwantari Bhawan, Road No.66, Punjabi Bagh (West), New Delhi-110 026
Phone Nos. 25228548 & 2522975 Email: gsp-ravdl@gov.in

APPOINTMENT OF GURUS UNDER GURU SHISHYA PARAMPARA-2025-26

Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth is an autonomous body under Ministry of Ayush, Govt. of India. It runs courses under **'Guru Shishya Parampara'** for training the institutionally qualified Ayurveda doctors.

COURSE: -

Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (CRAV): This is a one year training program for Ayurveda graduates. The training is given by eminent practitioners / institutions of Ayurveda having an excellence in the Ayurveda clinical practice / Ayurveda Pharmacy.

RAV is inviting applications from eminent Ayurveda practitioners/ reputed Ayurveda hospitals/ Ayurveda Pharmacies for their empanelment as the prospective Gurus/ training centres for CRAV training. The empanelment will be purely on temporary basis. The selected scholars / institutions will be paid an honorarium on the basis of actual period of training imparted by them to CRAV students.

Eligibility criteria for empanelment as Gurus (CRAV)

There are two categories of the Gurus having separate criteria for selection as mentioned below:

1. **Criteria for Individuals**
2. **Criteria for Institutions**

1. Criterion for Individuals:

i. Ayurveda practitioners enrolled in any State Register of Indian Medicine under Section 17 of IMCC Act, 1970/NCISM Act, 2020.
ii. Age not below 50 years.
iii. Having a minimum standing of 20 years of Ayurveda general or specialized clinical practice in any clinical branch of Ayurveda.
iv. Shall not be employed at any place and in any position on regular basis. This condition is not barring the honorary positions other than employment.

v. Ayurveda practioners' aspirant to be a RAV Guru should have minimum OPD of 40 patients per day.
vi. In case of surgical practice besides OPD of 25 patients per day, the Vaidya must be performing at least 15 surgical/ para-surgical/ Ksharsutra/ Agni Karma procedures daily.
vii. In case of Ayurveda Pharmacy, the vaidya should have his/her own pharmacy with a minimum standing of 20 years.
viii. Willingness to train the young Ayurveda doctors through a hands-on training method and to share their clinical knowledge and skills without any reservation.
ix. Gurus with or without IPD can be given upto 02 students and with occupancy of IPD of 20 beds and above can be given upto 04 students.

2. Criteria for Institutions:

i. Declared as Centre of Excellence by Ministry of Ayush.
ii. Ayurveda hospital with at least 50 IPD beds and 200 OPD patients per day.
iii. The centre should have a minimum 10 years of standing.
iv. The centre should be of good repute and should be well known for its Ayurveda management of various specialized conditions.
v. In case of a pharmacy, it should have a GMP certification, facility for drug quality monitoring and an R&D department.
vi. The institution authorities should be ready to give every access to CRAV students to all the places which are related to their clinical/ pharmacy training.

Institution may be required to identify a senior faculty from the institute as the incharge of the training in reference to CRAV training and his/her name should be indicated in the application form.

Individuals / Institutions empanelled as Gurus to CRAV training and imparting training will be paid a monthly honorarium as decided by Governing Body of RAV and amended time to time.

Applications are invited from eminent Ayurveda clinical experts (Vaidyas) and Ayurveda health care institutions/Ayurveda Pharmacies in Hindi or English as per the format given below. The applications must be sent to the **above mentioned E-mail and address (both through E-mail (PDF merged file) and Post) on or before 09th December, 2024**. The crucial date of eligibility will be **09.12.2024.**

Director, RAV

Application for empanelment as CRAV individual Guru 2025-26

1.	Name	
2.	Father's Name	
3.	Date of Birth	
4.	Age (as on 09.12.2024)	
5.	Qualification: (Name of the awarding institution, year of passing)	
6.	Medical Registration: (Name of Board, Registration Number and year of registration)	
7.	Any service done under Central/State government:	
8.	Present Mailing Address (with Pincode)	
9.	Permanent Address (with Pincode)	
10.	Aadhaar and PAN No.	
11.	Mobile No. & E-mail	
12.	Name of Clinic: Working Days: Clinic Timing- Morning Shift: Evening Shift: Weekend Off:	

13.	Address of practice place (with Pincode)	
14.	Experience in Ayurveda clinical practice	
15.	Any Teaching Experience (if yes, details)	
16.	Area of Specialization in practice: (Details may be furnished in a separate sheet)	
17.	Average number of patients seen in OPD per day	
18.	Whether maintaining any IPD, if yes, number of beds	
19.	Average bed occupancy ratio (Annually):	
20.	Other units available in the clinic / hospital: i) Medicine manufacturing section ii) Panchakarma iii) Ksharsutra iv) Any other	
21.	Infrastructural details of the Clinic/hospital: (Total area, Number of rooms, Number of wards and beds, facilities available)	
22.	Conditions / Diseases where the specialized treatment is available:	
23.	Publications: (No. of case reports / research papers/books published (List of papers/books to be attached)	

24.	No. of Seminars/ Conference/ Workshops attended	
25.	Fluency in Languages (please write the name of languages:) i) Reading: ii) Writing: iii) Speaking:	
26.	Honouraray attachments to any college/hospital on regular/part-time basis	
27.	Any recognition/ award / honouraray position offered in recognition of your clinical expertise	
28.	Any other specialty that supports you / your empanelment listing (in 100-150 words)	

Enclosures: Photocopies of certificates of Ayurveda qualifications, Medical registration, Aadhar Card, PAN Card, Colour passport size photo etc. and recent bio-data.

DECLARATION:

I do hereby declare that the particulars furnished by me above are correct to the best of my knowledge and belief. If given any opportunity, I also assure of my full commitment towards the CRAV training to the full of my Ayurveda knowledge and clinical skills. I assure to abide by the rules and regulations of CRAV course as may be specified from time to time.

Date: **Signature of applicant**

Application for empanelment as CRAV Institutional Training Centre 2025-26 (Institutional Guru)

1.	Name of the Institution	
2.	Managing authority of the institution	
3.	Full address of the institution (with Pincode) along with E-mail, Mobile No., Fax, Website etc.	
4.	PAN No. of Institution	
5.	Registration No. (Registration as a hospital/ pharmacy etc.)	
6.	Whether declared as a Center of Excellence by the Ministry of Ayush	
7.	Date of start of functioning	
8.	Total years of existence of the institution	
9.	Average number of patients in OPD per day	
10.	Number of beds in IPD	
11.	Speciality of the institution (specify the conditions where the specialized treatment is available)	
12.	Infrastructural details • Total Area • Number of Wards • Number of Consultants	
13.	Other units of the hospital i) Medicine manufacturing section ii) Panchakarma iii) Ksharasutra iv) Any other	
14.	Credentials of the hospital related with training of students	

15.	Any research paper/ case report/ case series published from hospital	
16.	Name & Designation of in-charge trainer (who will train CRAV students) (Details of the In-charge person identified as the 'Training Incharge' details may be given using the format given for individual gurus)	
17.	In case of pharmacy, give details of • Medicines commonly prepared • GMP certification number • Drug manufacturing licence number • Facilities for quality check of raw material and finished products **(If required add additional paper to give details)**	

Enclosures: Photocopies of hospital/ pharmacy registration, GMP Certificate, Center of Excellence certifications by Ministry of Ayush, Ayurveda qualifications and registration of the training incharge, PAN card of institution etc.

DECLARATION:

I do hereby declare that the particulars furnished by me above are correct to the best of my knowledge and belief. I assure to abide by the rules and regulations of CRAV course as may be specified from time to time.

Date:

Signature of head of the institution and office seal.